Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)
[Jamabandi Cancellation Revision Case No.-83/2025]
Jagdish Prasad Singh & Other.....Petitioner.
Versus
The State of Bihar.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4

09.3.2026

आदेश

यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0-30/2019 में दिनांक-17.5.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
263	2082	16 कट्ठा	उ0-सड़क डिस्ट्रीक बोर्ड व फुलचंद मारवाड़ी, द0-सड़क हाल, पु0-रास्ता बी.सी. डपरख, प0-सड़क
263	2082	11 कट्ठा	उ0-नारायण पोद्दार व मन्तु राम मारवाड़ी, द0-सड़क हाल, पु0-सड़क, प0-कचहरी हाता वगैरह
92	2079	3-4-12 धूर	उ0-सड़क हाल व जोरमल मारवाड़ी, द0-बाबू बैद्यनाथ सिंह, खरीदार मजकूर, पु0-बी.सो. डपरखा, प0-लखीमचन्द्र व लक्ष्मी मारवाड़ी वे मेधराज मारवाड़ी निज
	2080	0-1-8 धूर	उ0-निज, द0-निज, पु0-निज, प0-निज

दिनांक-19.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है।

Petitioner का अभिकथन है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत संतलाल मंडल थे। तथा उनके द्वारा अपनी कुल जमीन सुखपुर स्टेट को समर्पित कर दिया गया। उसके उपरांत फसली वर्ष 1339 अर्थात 1942 में सुखपुर स्टेट ने वाजिब नजराना लेकर उक्त जमीन की बंदोबस्ती युगल सिंह को कर दिया गया। तथा यह कि युगल सिंह उक्त ऐराजी पर हकदार व दखलकार हुए तथा उनके नाम से जमाबंदी संख्या-118, 120 कायम हुआ। युगल सिंह द्वारा वाजिब जरसमन प्राप्त कर निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से पुनरीक्षणकर्त्ता के पिता बैजनाथ सिंह को चार बीघा तेरह कट्ठा दिनांक-21.2.1957 को बिक्री कर दिया गया। तथा खरीददार को दखल-कब्जा दिला दिये। उनका कहना है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत जमीन को रामनवी मेला की ऐराजी का कथन कर निम्न न्यायालय में जमाबंदी रद्दीकरण का वाद शुरू किया गया। तथा यह कि इस संदर्भ में सही तथ्य यह है कि रामवनी मेला को खाता-38 खेसरा-2087, 2088, खाता-92, खेसरा-2080, खाता-663, खेसरा-2082, 2077/7578 एवं 2089 कुल-26 एकड़ 67 डी. प्राप्त रहता आया है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत खाता खेसरा का कुल करवा-4 बीघा 13 कट्ठा से संबंधित जमाबंदी संख्या-118, 120 का संधारण जमींदारी सिरिस्ता में एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात रिटर्न के आधार पर कायम हुआ है। जिसे निरस्त करने हेतु राजस्व न्यायालय को सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। तथा यह कि सक्षम सिविल कोर्ट से स्वत्व व अधिकार की घोषणा के पश्चात ही जमाबंदी रद्दीकरण का आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner की ओर से प्रश्नगत

	09.3.2026	जमीन युगल सिंह के जमाबंदी संख्या-118, 120 से निबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त होने तथा जमाबंदी संख्या-118, 120 का संधारण जमीनदारी सिरिस्ता में एवं जमीनदारी उन्मूलन के पश्चात रिर्टन के आधार पर कायम होने का दावा किया जा रहा है। विपक्षी राज्य का कहना है कि मापी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खेसरा संख्या-2079 एवं अन्य पर मेला ग्राउंड का बाजार लगता है। जो विगत 40-45 वर्षों से लगता चला आ रहा है। जिसकी बंदोबस्ती सरकारी स्तर से की जाती रही है। मेला ग्राउंड त्रिवेणीगंज का रकवा मिलजुमला है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि किस खेसरा अन्तर्गत कितना रकवा मेला ग्राउंड के लिए चिन्हित है। त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड सैरात पंजी में अन्य खेसरा के साथ खेसरा संख्या-2079 भी दर्ज है। निम्न न्यायालय के स्तर से प्रश्नगत जमीन पर लंबी अवधि से मेला लगते चले आ रहने तथा उक्त जमीन पर लंबी अवधि के बाद रैयतों द्वारा दावा को सही नहीं मानते हुए आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को Negate करने के संबंध में Petitioner के स्तर से कोई संगत साक्ष्य सुनवाई में उपस्थापित नहीं किया जा सका है। निम्न न्यायालय- समाहर्त्ता, सुपौल के द्वारा जमाबंदी रद्द अपील वाद संख्या-30/2019 में दिनांक- 17.5.2025 को पारित आदेश में संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः इस Revision वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	